



प्रेस नोट
थाना बिनौली

दिनांक 09-08-2022

थाना बिनौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 198/22 धारा 380/457 भादवि में सरकारी अंग्रेजी शराब के ठेका से शराब की चोरी का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार, जिनके कब्जे से चोरी की हुई 05 पेटी अंग्रेजी शराब यूपी मार्का व घटना में प्रयुक्त लोहे का एक सब्बल एवं एक टार्च बरामद ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 09.08.2022 को थाना बिनौली पर वादी श्री अंकित कुमार सैल्समैन पुत्र सुरेन्द्र निवासी ग्राम कुरालसी थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ने सूचना दी कि दिनांक 06/08/2022 की रात्रि में किसी अज्ञात चोरों द्वारा सरकारी अंग्रेजी शराब ठेका की दुकान की दीवार तोड़कर शराब की 22-23 पेटी व 25 हजार रुपये नगद चोरी कर ले जाने के सम्बन्ध में दी । प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना बिनौली पर मु0अ0सं0 198/22 धारा 380/457 भादवि पंजीकृत किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बिनौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 198/22 धारा 380/457 भादवि में सरकारी अंग्रेजी शराब के ठेका से शराब की चोरी का खुलासा करते हुए 03 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है । जिनके कब्जे से चोरी की हुई 05 पेटी अंग्रेजी शराब यूपी मार्का व घटना में प्रयुक्त लोहे का एक सब्बल एवं एक टार्च बरामद हुई है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरमादगी के सम्बन्ध में थाना बिनौली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. गर्व उर्फ गोलू पुत्र बिट्टू उर्फ प्रवीन निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. मोनू उर्फ आलू पुत्र राजकुमार निवासी कस्बा व थाना बिनौली जनपद बागपत।
3. अंकित पुत्र राजकुमार निवासी ग्राम जौनमाना थाना बडौत जनपद बागपत।

आपराधिक इतिहास गर्व उर्फ गोलू उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 198/22 धारा 380/457/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 169/22 धारा 323/504/506 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।

आपराधिक इतिहास मोनू उर्फ आलू उपरोक्त-

मु0अ0सं0 198/22 धारा 380/457/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।

आपराधिक इतिहास अंकित उपरोक्त-

1. मु0अ0सं0 198/22 धारा 380/457/411 भादवि थाना बिनौली जनपद बागपत।
2. मु0अ0सं0 153/19 धारा 323/506/498ए भादवि थाना छपरौली जनपद बागपत।
3. मु0अ0सं0 447/16 धारा 323/324/504/506 भादवि थाना बडौत जनपद बागपत।

बरामदगी का विवरण-

- सरकारी अंग्रेजी शराब के ठेका से चोरी की हुई 05 पेटी अंग्रेजी शराब यूपी मार्का।
- घटना में प्रयुक्त लोहे का एक सब्बल एवं एक टार्च।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री दिग्विजय सिंह थाना बिनौली
- 2-उ0नि0 यूटी श्री आदित्य कुमार थाना बिनौली
- 3-है0का0 99 मुनीष शर्मा थाना बिनौली
- 4- का0 195 मनोज शर्मा थाना बिनौली
- 5- का0 861 दीपक कुमार थाना बिनौली
- 6-का0 811 योगेन्द्र कुमार थाना बिनौली



प्रेस नोट
थाना बालैनी

दिनांक 09.08.2022

थाना बालैनी पुलिस ने सोशल मीडिया पर एक स्विफ्ट गाडी को चलाते समय गाडी की छत पर बैठकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वायरल वीडियो के 01 बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई व 01 अन्य आरोपी को हिरासत में लिया गया ।

संक्षिप्त विवरण-

सोशल मीडिया पर दो युवकों द्वारा स्विफ्ट गाडी नं0-यूपी- 17एल- 3488 को चलाते समय गाडी की छत पर बैठकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वीडियो वायरल हुआ था । जिसमे संज्ञान लिया गया एवं युवकों को चिन्हित किया गया ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा सोशल मीडिया पर एक स्विफ्ट गाडी को चलाते समय गाडी की छत पर बैठकर आपत्तिजनक टिप्पणी करते हुए वायरल वीडियो में गाडी की छत पर बैठे युवक बाल अपचारी के विरुद्ध कार्यवाही की गई व 01 अन्य आरोपी को हिरासत में लिया गया । एवं वायरल वीडियो से सम्बन्धित स्विफ्ट गाडी नं0-यूपी 17 एल 3488 का चालान किया गया ।



हिरासत में लिए आरोपियों का नाम पता –

1-कृष्ण पुत्र जगदीश निवासी ग्राम रसूलपुर थाना रोहटा जनपद मेरठ ।



2-एक बाल अपचारी ।

कार्यवाही करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री धनवीर सिंह थाना बालैनी ।

2-का0 1037 अभिषेक यादव थाना बालैनी ।



प्रेस नोट

थाना कोतवाली बडौत

दिनाँक 09-08-2022

थाना कोतवाली बडौत पुलिस ने थाने के 689/22 धारा 306 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण-

दिनाँक 31.07.2022 को थाना कोतवाली बडौत पर श्री बिजेन्द्र सिंह पुत्र धर्मवीर सिंह निवासी ग्राम इटावा थाना बुढाना जनपद मुजफ्फरनगर ने तहरीर दी कि भांजे विकास उर्फ कल्लू पुत्र विनोद, मोहन उर्फ छोटू पुत्र विनोद व उनके चाचा हरेन्द्र उर्फ जोगा पुत्र आशाराम निवासीगण ग्राम ट्यौडी थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत द्वारा आपस में गाली-गलौच करना, जिसमें वादी की बहन चाँदकोर (उम्र 55 वर्ष) पत्नी विनोद निवासी ग्राम ट्यौडी थाना कोतवाली बडौत द्वारा उनका बीच बचाव करना तथा आये दिन के झगडे व गाली-गलौच व मारपीट से तंग आकर वादी की बहन चाँदकोर उपरोक्त द्वारा जहर खाकर आत्महत्या कर ली । इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली बडौत पर मु0अ0सं0 689/22 धारा 306 भादवि पंजीकृत किया गया था ।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 689/22 धारा 306 भादवि में वांछित एक अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

नोट - उपरोक्त अभियोग में नामित 02 अभियुक्तों को थाना कोतवाली बडौत पुलिस द्वारा पूर्व में गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- हरेन्द्र उर्फ जोगा पुत्र आशाराम निवासी ग्राम टयौढी थाना कोतवाली बडौत जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0- श्री कृपेन्द्र सिंह थाना बडौत
- 2-है0का0 120 मनोज कौशिक थाना बडौत
- 3-का0 984 दीपक शर्मा थाना बडौत बागपत



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 09.08.22

थाना छपरौली पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 228/22 धारा 323/307/504/506 भादवि में वांछित 04 अभियुक्तों को किया गिरफ्तार।

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 08.08.22 को थाना छपरौली पर वादी अंकित पुत्र देशपाल निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली ने सूचना दी कि अभियुक्त 1. सोनू पुत्र इकबाल 2. फिरोज पुत्र इकबाल 3. आमिर पुत्र फिजू 4. ताहीर पुत्र कल्लू समस्त निवासीगण ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत के द्वारा



वादी के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की नीयत से मारपीट कर गम्भीर रूप से घायल कर दिया व जान से मारने की धमकी दी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 228/22 धारा 323/307/504/506 भादवि में पंजीकृत गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 228/22 धारा 323/307/504/506 भादवि में 04 वांछित अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता-

1. सोनू पुत्र इकबाल निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत।
2. फिरोज पुत्र इकबाल निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत।
3. आमिर पुत्र फिजू निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत।
4. ताहीर पुत्र कल्लू निवासी ग्राम लूम्ब थाना छपरौली जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1- उ0नि0 श्री राजकुमार गौतम थाना छपरौली।
- 2- का0 1028 मुरली थाना छपरौली।
- 3- का0 550 अनिल कुमार थाना छपरौली।



प्रेस नोट

थाना खेकडा

दिनांक 09-08-22

**थाना खेकडा पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 314/22 धारा 147/504/308 भादवि में
वांछित 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 04.08.22 को थाना खेकडा पर वादिनी रीना पत्नी रोहताश निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत ने तहरीर दी कि उसके पड़ोसी विक्रान्त का पूरा परिवार रंजित मानते हैं। अभियुक्त विक्रान्त पुत्र रामनिवास, रामनिवास व श्रीनिवास पुत्रगण अमीलाल, नितिन व कृष्ण पुत्रगण श्रीनिवास उसके घर के सामने आये और हमें गाली-गलौच की, उसके बाद वह अपने बेटे दीपक को साथ लेकर मो0सा0 से थाने आ रहे थे लगभग 09 बजे रात्रि में विक्रान्त पुत्र रामनिवास अपनी कार सेलेरिओ से जिसने जानबूझकर गाली देकर हमारी मो0सा0 में टक्कर मार दी, जिससे वह मौके पर बेहोश हो गयी और बेटे दीपक को भी काफी चोटें आयी। इस सम्बन्ध में प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना खेकडा पर मु0अ0सं0 314/22 धारा 147/504/308 भादवि में पंजीकृत किया गया।



कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना खेकडा पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0

314/22 धारा 147/504/308 भादवि में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

1- विक्रान्त पुत्र रामनिवास निवासी ग्राम बसी थाना खेकडा जनपद बागपत।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 श्री मयंक प्रताप सिंह

2-का0 217 राधेश्याम सिंह